



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082022-238373
CG-DL-E-25082022-238373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3818]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2022/भाद्र 2, 1944

No. 3818]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2022/BHADRA 2, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

का.आ. 3992(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में NH 844 के कि.मी. 53.5 से कि.मी. 94.6 (कॉम्पेटेंट अथॉरिटी एंड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिस (एल - रारा 179A एंड 179B, ओल्ड क्वार्टर्स, ओड्डापट्टी, कलेक्टोरेट पोस्ट, धर्मपुरी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर एल ए एन एह 844, धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में NH 844 के कि.मी. 53.5 से कि.मी. 94.6 (कॉम्पेटेन्ट अथॉरिटी एंड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिस (लए - रारा 179A एंड 179B), ओल्ड क्वार्टर्स, ओड्डापट्टी, कलेक्टोरेट पोस्ट, धर्मपुरी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: धर्मपुरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: धर्मपुरी					
गांव का नाम: पाप्पिनायकनहल्ली					
1	601/2	निजी	ड्राय	781.0000000(वर्ग मीटर)	0.0781000
गांव का नाम: विरुपक्षिपुरम					
1	498/2B1A	निजी	ड्राय	99.0000000(वर्ग मीटर)	0.0099000
2	506/2A2	निजी	ड्राय	357.0000000(वर्ग मीटर)	0.0357000
3	513/7A1	निजी	ड्राय	210.0000000(वर्ग मीटर)	0.0210000
तालुक का नाम: पालक्काडु					
गांव का नाम: करगाथाहल्ली					
1	539/1B2	निजी	ड्राय	250.0000000(वर्ग मीटर)	0.0250000
2	540/1	निजी	ड्राय	58.0000000(वर्ग मीटर)	0.0058000
3	540/1C	निजी	ड्राय	114.0000000(वर्ग मीटर)	0.0114000
4	541/1A2	निजी	ड्राय	1,806.0000000(वर्ग मीटर)	0.1806000
5	565/2	निजी	ड्राय	22.0000000(वर्ग मीटर)	0.0022000
6	566/1	निजी	ड्राय	1,400.0000000(वर्ग मीटर)	0.1400000
7	568/1	निजी	ड्राय	6,200.0000000(वर्ग मीटर)	0.6200000
कुल				11,297.0000	1.1297

[फा. सं. NHAI/11021/3/PIUKRISHNAGIRI/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2022

S.O. 3992(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 844 in the stretch of land from Km. 53.500 to Km. 94.460 (Neraluru - Rayakottah - Dharmapuri Section) in the district of DHARMAPURI in the state of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special District Revenue Officer LA NH 844, Dharmapuri District in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling with in the stretch of land from Km. 53.500 to Km. 94.460 of NH 844 (Neraluru - Rayakottah - Dharmapuri Section) in the district of DHARMAPURI in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU		District: DHARMAPURI			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Dharmapuri					
Village: Pappinayakanhalli					
1	601/2	Private	Dry	781.0000000(Square Meter)	0.0781000
Village: Virupakshipuram					
1	498/2B1A	Private	Dry	99.0000000(Square Meter)	0.0099000
2	506/2A2	Private	Dry	357.0000000(Square Meter)	0.0357000
3	513/7A1	Private	Dry	210.0000000(Square Meter)	0.0210000
Taluk: Palakkodu					
Village: Karagathahalli					
1	539/1B2	Private	Dry	250.0000000(Square Meter)	0.0250000
2	540/1	Private	Dry	58.0000000(Square Meter)	0.0058000
3	540/1C	Private	Dry	114.0000000(Square Meter)	0.0114000
4	541/1A2	Private	Dry	1,806.0000000(Square Meter)	0.1806000
5	565/2	Private	Dry	22.0000000(Square Meter)	0.0022000

6	566/1	Private	Dry	1,400.0000000(Square Meter)	0.1400000
7	568/1	Private	Dry	6,200.0000000(Square Meter)	0.6200000
Total				11,297.0000	1.1297

[F. No. NHAI/11021/3/PIUKRISHNAGIRI/3A]

RAJESH GUPTA, Director